न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–65/2018

CIS NO. TS-48/2019

रहमान मियाँ.....वादी

बनाम

रसीद मियाँ.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
21.08.2023	वादी की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से पैरवी नही है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.01.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आवेदन धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी रसीद मियाँ की मृत्यु दिनांक 03.07.2021 को हो चुकी है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने पाँच पुत्र फरियाद मियाँ, रेयाज मियाँ, अलीराज मियाँ, फैयाज मियाँ एवं फरहाद मियाँ को छोडकर मरे है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वादी को कोरोना महामारी के कारण प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी समय पर नही हो सकी। जिस कारण प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी रसीद मियाँ के प्रतिस्थापन हेतु वादी द्वारा उक्त आवेदन दी गयी है। उक्त आवेदन शपथ	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–65/2018</u>

<u>CIS NO. TS-48/2019</u>

रहमान मियाँ.....वादी

बनाम

रसीद मियाँ.....प्रतिवादी

लगातार 21.08.2023	पत्र से समर्थित है। चूँकि वादी के द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 31.01.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार प्रतिवादी के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 25.09.2023 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	